न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31 / 2017 नामान्तरकरण अपील

1. अब्दुल नईम खॉ
2. अब्दुल मईन खॉ
3. अब्दुल मतीन खॉ

} पि0 अजीज खॉ } जाति मुसलमान निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लालसोट
2. तहसीलदार तहसील लालसोट
3. महेश कुमार पुत्र रामानन्द जाति सोनी
4. शिवचरण पुत्र रामगोपाल पंसारी

} निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण सं0 562 दिनांक 21.02.2013 ग्राम राजोली तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा तहसीलदार लालसोट

उपस्थिति :– 1. श्री कृष्ण गोपाल गोतम, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01।
3. श्री प्रेम प्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04।

–:निर्णय:–

दिनांक 5 .12.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 202, 204, 205 किता 03 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा ग्राम राजोली तहसील लालसोट की खातेदारी मुताबिक राजस्व अभिलेख अब्दुल रशीद, अब्दुल कदीर, अब्दुल कलाम व अपीलान्टगण के पिता अब्दुल अजीज पि. अब्दुल हमीद मुसलमान साकिन लालसोट हिस्सा बराबर दर्ज थी। आराजी वादग्रस्त में से अपीलान्ट के पिता अब्दुल अजीज ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सं. 03 व 04 को हिस्सा 1/4 में से 2 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया व अपीलान्टगण के पिता अब्दुल अजीज का हिस्सा शेष रह गया। रेस्पोडेन्ट सं. 02 व 03 व अन्य लोगो ने एक प्रार्थना पत्र आराजी वादग्रस्त को सोमोटो में कनवर्ट करने का रेस्पोडेन्ट नं. 01 के यहा प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पो. नं. 01 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलान्टगण के पिता अब्दुल अजीज की कृषि भूमि का बिना कोई आवेदन प्रस्तुत किये सम्पूर्ण कृषि भूमि को रूपान्तरण करने का अवैध रूप से आदेश देकर नामा सं. 562 रेस्पोडेन्ट न. 02 ने बिना जांच पडताल किये तस्दीक कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्टगण के पिता अब्दुल अजीज को उनके जीवनकाल में नही हो सकी। जानकारी होने पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 05 अधिनियम के साथ अपीलान्ट्स द्वारा पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 01 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लालसोट द्वारा बिना रिकार्ड देखे अपीलान्टगण के पिता की खातेदारी कृषि भूमि का बिना कोई आबादी में कनवर्ट किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये एवं बिना कोई नोटिस व जवाब का अवसर दिये सम्पूर्ण कृषि भूमि को आबादी में कनवर्ट कर अवैध रूप से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट नं. 02 ने तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण आराजी वादग्रस्त के खातेदार काबिज काश्तकार है। जो काबिज काश्त करते आ रहे है। इन तथ्यो पर रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 ने मनन नही किया। बिना सहमति अथवा आवेदन के सम्पूर्ण 20बीघा 08 बिस्वा को अधिशाषी अधिकारी नगरगपालिका लालसोट द्वारा सम्परिवर्तित कर दिया गया जिसका तहसीलदार लालसोट द्वारा नामा. सं. 562 दिनांक 21.02.2013 को तस्दीक कर दिया गया। जबकी यह अपीलान्ट की खातेदारी भूमि थी। रेस्पोडेन्ट नं. 03 व 04 उक्त तथ्य से सहमत है। अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी मिलने पर दफा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील

अति० जिला कलक्टर
दौसा

पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 562 दिनांक 21.02.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा निवेदन किया की प्रश्नगत भूमि खातेदारी भूमि थी जिसका बेचान कर दिया और केताओं द्वारा मकान आदि बना लिए गये है। काबिज व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर नगरपालिका द्वारा 90 A की कार्यवाही कि गई है। नगरपालिका को इसका अधिकार है की वह सुमोटो भी 90 A की कार्यवाही कर सकती है। नगरपालिका द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनाकर ही 90 A की कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में लोक सूचना प्रकाशित की गई है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में राजस्व रिकार्ड व अन्य तथ्यो पर गौर किये बिना एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 562 दिनांक 21.02.2013 ग्राम राजोली तहसील लालसोट जिला दौसा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रकिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निर्णय आज दिनांक 5 .12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा